सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 101/2018

बउनवान

गोबरीबाई उम्र 35 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि अशोक जाति मेघवाल निवासी बेडक्या तहसील अटरू हाल निवासी टिगरी कोटडी तहसील जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

1– मोहनलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री घांसीलाल मेघवाल निवासी बेडक्या तहसील अटरू
2– बाबूलाल आयु 62 वर्ष पुत्र घासीलाल जाति मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तह. छबडा
3– बरजीबाई आयु 80 वर्ष बेवा घासीलाल मेघवाल निवासी नृसिंहपुरा तहसील छबडा
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ (राज.)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इन्तकाल नंबर 14 दि. 12.6.1992 वाके ग्राम बेडक्या तहसील अटरू के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक ॥ **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 25.3.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 14 दिनांक 12.6.1992 वाके ग्राम बेडक्या तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बेडक्या पटवार हल्का खेडलीगंज अटरू की आरजी खाता नं0 12 कुल किता 5 रकबा 3.32 हेक्टयर व खाता सं0 10 कुल किता 2 रकबा 0.17 हेक्टयर कुल रकबा 3.49 हेक्टयर स्थित थी, जो खातेदार घासी पुत्र नारायण कोम चमार सा. देह राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। खातेदार घासी की मृत्यु होने के बाद इन्तकाल नं. 14 दिनांक 12.6.1992 से अप्राथी क्रम 1 से 3 के नाम दर्ज हुआ है। मृतक घांसी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :– मृतक घांसी अपने पीछे तीन पुत्र भैरूलाल, मोहनलाल, बाबूलाल व बेवा बरजी बाई व पुत्रीया कजोडी, प्रेम, कांती, शान्ति को छोडकर स्वर्ग सिद्धारा था। मृतक घांसी के वारिसान में से उसके पुत्र भैरूलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा मृतक भैरूलाल की वारिस उसकी पुत्री अपीलान्ट गोबरीबाई है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके मृतक घांसी के वारिसान को स्वयं बताकर अपने नाम उक्त इन्तकाल नम्बर 14 दिनांक 12.6.1992 खुलवाया है तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया है जो गलत एवं अवैधानिक होने से काबिल निरस्तनीय है।

मृतक घांसी के अन्य आराजी वाके ग्राम नृसिंहपुरा तहसील छबडा में खाता सं0 41 से अवस्थित है। जिसका इन्तकाल नं0 68 खोला है जिसमें मृतक घासी के उक्त सभी वारिसान का नाम दर्ज हुआ है। बाद सेटलमेन्ट उक्त आराजीयात के नये खसरा नम्बर 297, 298, 314, 315 है।

रेस्पो0 क्रम 1 से 3 ने अपीलान्ट व मृतक घासी के अन्य वारिसान के नाम छिपाते हुए उक्त इन्तकाल खुलवा कर राजस्व रिकार्ड में मद नं01 वर्णित आराजी को अपने नाम दर्ज करवाया है, जो गलत एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। इस कारण मृतक घांसी के पुत्रों के साथ अपीलांट गोबरी बाई का नाम भी अंकित करना चाहिए था। इस कारण उक्त इन्तकाल अवैधानिक होने से काबिल निरस्तनीय है।

इस प्रकार तहसीलदार अटरू द्वारा जो इन्तकाल नं0 14 दिनांक 12.6.1992 को खोला गया है वह गैर कानूनी व अवैधानिक तरीके से रेस्पो0 क्रम 1 ता 3 की मिली भगत से अपीलान्ट व अन्य वारिसान के हिस्से की भूमि को हडपने की गरज से खोला गया है जो काबिल निरस्तनीय है।

यह कि इन्तकाल नम्बर 14 दिनांक 12.6.1992 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.5.2018 को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए खाते की नकल लेने हेतु मौखिक निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा बताने पर कि खाते मे तेरा नाम अंकित नही है। इस पर अपीलांट ने उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 14.5.2018 को पेश कर, नकल इन्तकाल दिनांक 16.5.2018 को प्राप्त की। नकल प्राप्त करने के बाद प्रार्थिया/अपीलांट बीमार हो गयी तथा चलने फिरने की स्थिति मे नही थी। इस कारण समय पर अपील पेश नही की। अब स्वस्थ होने पर अपील प्रस्तुत करने आयी है। अस्तु विलम्ब को कन्डोन के बाद अपील अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इन्तकाल संख्या 14 दिनांक 12.6.1992 तहसीलदार अटरू बाबत आराजी वाके ग्राम बेडक्या पटवार हल्का खेडलीगंज अटरू की आराजी खाता नं0 12 कुल किता 5 रकबा 3.32 हेक्टयर व खाता संख्या 10 कुल किता 2 रकबा 0.17 हेक्टयर कुल रकबा 3.49 हेक्टयर निरस्त फरमाया जाकर, मृतक घासी के सभी वारिसान के नाम अंकित करते हुये पुनः इन्तकाल खोले जाने का आदेश प्रदान करे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 13.7.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 14 दिनांक 12.6.1992 वाके ग्राम बेडक्या तहसील अटरू मे अपीलांट का नाम अंकित नही किया गया है जबकि अपीलांट मृतक घासी के मृतक पुत्र भैरूलाल की पुत्री है। जबकि तहसील छबडा के ग्राम नृसिंहपुरा की आराजी मे खोले गये इन्तकाल नम्बर 68 मे अपीलांट का नाम अंकित किया गया है। अपीलांट को इन्तकाल नम्बर 14 दिनांक 12.6.1992 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.5.2018 को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए खाते की नकल लेने हेतु मौखिक निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा बताने पर कि खाते मे तेरा नाम अंकित नही है। इस पर अपीलांट ने उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 14.5.2018 को पेश कर, नकल इन्तकाल दिनांक 16.5.2018 को प्राप्त की। नकल प्राप्त करने के बाद प्रार्थिया /अपीलांट बीमार हो गयी तथा चलने फिरने की स्थिति मे नही थी। इस कारण समय पर अपील पेश नही की जा सकी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इंतकाल निरस्त किया जाकर मृतक घासी एवं मृतक भैरूलाल के लिगल सभी वारिसान जांच की जाकर नाम अंकित करते हुये पुनः इन्तकाल खोले जाने का आदेश प्रदान करे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि इंतकाल की अपील प्रस्तुत करने का समय 30 दिन है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। जिसमे लिमिटेशन के बिन्दु पर एक–एक दिन का ब्यौरा दिया जाना चाहिये था। जो अपीलांट द्वारा नही दिया गया है। मृतक के पारिवारिक सजरा अनुसार समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। जो अपीलांट द्वारा नही बनाये गये है। किसी भी गांव मे एक ही नाम के दो व्यक्ति हो सकते है। इसलिये अपीलांट को वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रकरण मे मृतक घासी की मृत्यु पहले हुई अथवा उसके पुत्र भैरूलाल की इसका कही उल्लेख नही किया गया है, ओर मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न नही किया गया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा इंतकाल नम्बर 14 दिनांक 12.6.1992 वाके ग्राम बेडक्या तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमे वर्तमान जमाबन्दी संलग्न नही है। तहसीलदार/पटवारी द्वारा लिगल वारिसान की जांच रिपोर्ट संलग्न नही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी संलग्न नही है। अलग–अलग गांव मे अवस्थित, अपील मे वर्णित व्यक्ति एक ही है के संबंध मे भी कोई स्थानीय प्राधिकारी की रिपोर्ट संलग्न नही है। अतः अपीलांट के अभिभाषक सदभावना पूर्वक सक्षम न्यायालय मे पृथक से वाद/अपील/दावा करने, अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतन्त्र रहेगे। उक्त इंतकाल को हम वर्तमान मे निरस्त किया जाना न्यायोचित नही समझते हैं।

अतः अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारा